



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

Handwritten signature and stamp.

सं. 47]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 24, 2000/माघ 4, 1921

No. 47]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 24, 2000/MAGHA 4, 1921

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2000

का. आ. 63(अ).—केन्द्र सरकार, दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम, 1973 (1974 का 1) की धारा 4 और 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली नगर कला आयोग का एतद्वारा इस प्रकार पुनर्गठन करती है :—

- (i) डा० जे. पी. सिंह की दिनांक 3-12-1999 से 3 वर्ष की अवधि के लिए दिल्ली नगर कला आयोग के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्ति;
- (ii) प्रो० के. टी. रविन्द्रन की तत्काल प्रभाव से 3 वर्ष की अवधि के लिए दिल्ली नगर कला आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति;
- (iii) श्री एच. के. यादव की तत्काल प्रभाव से 3 वर्ष के लिए दिल्ली नगर कला आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति;
- (iv) सुश्री चारु मिश्र की तत्काल प्रभाव से 3 वर्ष के लिए दिल्ली नगर कला आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति।

[सं. ए.-11013/1/99-डी.डी.-1 ए]

एस. बनर्जी, संयुक्त मन्त्रि

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2000

S.O. 63(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 4 and 5 of the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1974), the Central Government hereby reconstitutes the Delhi Urban Art Commission (DUAC) by

- (i) reappointment of Dr. J.P. Singh as part-time Chairman, DUAC for a term of 3 years w.e.f 3-12-1999,
- (ii) reappointment of Prof. K.T. Ravindran as part-time Member, DUAC for a period of 3 years with immediate effect,
- (iii) appointment of Shri H.K. Yadav as part-time Member, DUAC for a period of 3 years with immediate effect, and
- (iv) appointment of Ms. Charu Mittal as part-time Member, DUAC for a period of 3 years with immediate effect

[No A-11013/1/99-DD-1A]

S BANERJEE, Jt Secy

